तत्काल जारी होने के लिएः

भारतः पीड़ानिवारण का उपचार उपलब्ध कराना

सरकार की सुस्ती, सीमित नियमन के कारण लाखों रोगी अनावश्यक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं.

ह्यूमैनराइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में हर वर्ष लाखों मरीज़ अनावश्यक रूप से असहनीय दर्द झेलते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाइयों के सीमित नियमन, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के अभाव और एक समन्वित देखभाल की कमी के कारण उन रोगियों अनावश्यक रूप से तकलीफ़ उठानी पड़ती है क्योंकि उनकी पहुँच महंगी और प्रभावशाली दर्दनिवारक औषधियों तक नहीं है.

अपनी 102 पन्नों की रिपोर्ट असहनीय दर्दः उपशामक देखभाल सुनिश्चित कराने में भारत की ज़िम्मेदारी में पाया गया है कि भारत में कैंसर के कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ रोगियों को मॉरफ़ीन तक नहीं दिया जाता जबकि तथ्य यह है कि इनमें से 70 प्रतिशत रोगियों के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और उन्हें दर्दनिवारक और उपशामक देखभाल की ज़रूरत है. एचआईवी से पीड़ित लोगों को सेवा उपलब्ध करा रहे स्वास्थ्य केंद्रों में मॉरफ़ीन नहीं है या नुसख़ा लिख कर उसे उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं हैं.

ह्यूमैनराइट्स वॉच के वरिष्ठ स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार शोधकर्ता डीड्रिक लोहमैन का कहना है, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में भीषण पीड़ा झेल रहे अनेक रोगियों की अवहेलना होती है. उन्हें दर्द से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है. उनमें से कई ने हमसे कहा कि उनका दर्द इतना तीव्र है कि वे मर जाना पसंद करेंगे.

तीव्र पीड़ा कैंसर के रोगियों में आम है. विशेषकर रोग के अंतिम चरण में. एक अनुमान के अनुसार भारत में किसी एक वर्ष में दस लाख से अधिक कैंसर रोगी तीव्र पीड़ा झेलते हैं. इसके

अतिरिक्त अन्य कई रोगी, जिनमें एचाईवी, टीबी या अन्य संक्रमणों से ग्रस्त रोगी भी हैं, तीव्र या दीर्घकालीन तेज़ दर्द झेलते हैं.

रिपोर्ट में दर्दनिवारक एवं उपशामक देखभाल के मार्ग में बाधा बन रहे तीन मुख्य अवरोधकों की पहचान की गई है.

- **सीमित औषधि नियमन**. कई भारतीय राज्यों में नारकोटिक को लेकर अत्यधिक कड़े नियम हैं जिनके कारण अस्पतालों और फ़ार्मेसी में मॉरफ़ीन की उपलब्धता बाधित होती है. 1998 में केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था कि राज्य संशोधित नियम अपनाएँ किंतु भारत के आधे से अधिक राज्यों ने ऐसा नहीं किया है.
- **डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने में विफलता**. अधिकतर मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों को दर्द के निवारण एवं उपशामक उपचार का या तो कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है क्योंकि सरकार इस प्रकार के निर्देश पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कराती. इसके परिणामस्वरूप, भारत में अधिकतर डॉक्टर यह नहीं जानते कि तीव्र पीड़ा की कैसे पहचान की जाए और कैसे उसका उपचार हो.
- **स्वास्थ्य सेवाओं में उपशामक देखभाल सम्मिलित करने में कमी**. राष्ट्रीय कैंसर एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में सार्थक उपशामक देखभाल से जुड़े अंश शामिल नहीं हैं जिसके कारण इसे सरकारी धनराशि से वंचित रहना पड़ता है और इसका दर्जा गौण हो जाता है.

लोहमैन का कहना है, “भारत विश्व में वैध रूप से अफ़ीम के उत्पादन में सबसे आगे है जो कि मॉरफ़ीन बनाने में प्रयुक्त होती है. लेकिन वह सभी निर्यात कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप कई लाख, यदि दसियों लाख नहीं भी हों, भारतीय अनावश्यक रूप से पीड़ा झेलते हैं”.

रिपोर्ट में कैंसर के रोगियों के लिए दर्दनिवारक औषधियों की उपलब्धता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है. इसमें कहा गया है कि, मॉरफ़ीन के इस्तेमाल की आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि बढ़े हुए कैंसर से जूझ रहे रोगियों के केवल चार प्रतिशत को ही उपयुक्त दर्दनिवारक उपचार सुलभ है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैंसर के लिए सरकारी राशि में वृद्धि में भी उपशामक देखभाल के लिए कोई प्रावधान नहीं है.

लोहमैन का कहना है, “भारत सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों और में निवेश किया और कैंसर पर नियंत्रण पाने के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि की. किंतु बिना यह प्रयास किए कि सभी कैंसर अस्पताल दर्द की उपचार कर सकें और वहाँ उपशामक उपचार की सुविधा हो, यह राशि बढ़े हुए, असाध्य कैंसर से उत्पन्न पीड़ा से छुटकारा दिलाने में रोगियों की कोई सहायता नहीं कर रही है”.

यह किसी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा तैयार की गई पहली ऐसी रिपोर्ट है जो दर्दनिवारक औषधि तक पहुँच की एक सही परिप्रेक्ष्य में जाँच करती है. ह्यूमैनराइट्स वॉच का मानना है कि यह सरकारों का दायित्व है कि वे मॉरफ़ीन सहित अन्य आवश्यक औषधियाँ रोगियों को उपलब्ध हों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके इस्तेमाल का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की यह सुनिश्चित कराने में विफलता स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है.

ह्यूमैनराइट्स वॉच ने यह भी तर्क दिया है कि सरकार की यह सुनिश्चित कराने में विफलता कि कैंसर के अस्पताल दर्दनिवारण का उपचार मुहैया कराएँ, उत्पीड़न एवं क्रूरता तथा अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार पर प्रतिबंध का उल्लंघन है क्योंकि इससे असहनयी पीड़ा को जन्म मिलता है. ह्यूमैनराइट्स वॉच का कहना है कि बुनियादी और सस्ते उपचार से इस पीड़ा से बचा जा सकता है.

कुछ रोगियों के चयनित उद्धरणः

मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे सूई चुभो रहा है. मैं रातभर रोती रही. इस तरह के दर्द के साथ लगता है कि मौत ही इसका एकमात्र समाधान है.
प्रिया, हैदराबाद, स्तन कैंसर से पीड़ित एक महिला.

जिस तरह जीभ पर मिर्ची लगने से जलन होती है वैसी ही जलन मेरे पैर में हो रही थी, दर्द बहुत तेज़ था, मुझे लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ. मैं बहुत डरा हुआ था. मुझे लगा कि इस दर्द को सहने से बहेतर है मर जाना. मैंने सोचा कि पैर काट देने के बाद सबकुछ ठीक हो जाएगा. पैर हटा देने के बाद मुझे दर्द से छुटकारा मिल जाएगा.

दिलावर सिंह, हैदराबाद, बोन ट्यूमर से पीड़ित एक नेपाली.

मैं हर रात केवल एक-डेढ़ घंटे ही सो पाती हूँ. मैं नींद की कितनी भी गोलियां खा सकती हूँ (इससे कोई फ़ायदा नहीं होता). मारफ़ीन से मुझे आराम मिलता है. यह जगह (उपशामक देखभाल केंद्र) मेरे लिए स्वर्ग की तरह है.

श्रुति शर्मा, हैदराबादा, स्तन कैंसर से पीड़ित एक महिला.

मेरे दोनों पैरों और पीठ में दर्द था. मेरे पैर असमान्य रूप में मुड़ गए थे. मेरे पैर अंदर की तरफ मुड़ गए थे और पंजे ऊपर की ओर.यह सुइयों के चुभाने जैसा असहनीय दर्द था. मैं सो नहीं पाता था क्योंकि ख़ासकर रात में दर्द बढ़ जाता था.

पिल्लई, त्रिवेंद्रम, स्पाइनल टीबी और एचआईवी पीड़ित.

मेरे पेट और जननांगों में असहनीय दर्द था. यह लगातार बना हुआ था, चुभोने वाला यह दर्द पीठ में भी होने लगा था. इसने मुझे चिड़चिड़ा और कुंठित कर दिया. मैं तीन-चार बार डॉक्टर के पास यह बताने गया कि मुझे दर्द है और मुझे कोई आराम नहीं मिला था. मैंने कुछ नई दवाइयाँ भी लीं लेकिन उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ.

कमला कुँवर, जयपुर, सरवाइकल कैंसर से पीड़ित.

ह्यूमैनराइट्स वॉच की पूरी रिपोर्ट असह्य दर्दः उपचार उपलब्ध कराने की भारत की ज़िम्मेदारी पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.
http://www.hrw.org/en/node/86153

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
नई दिल्ली में ह्यूमैनराइट्स वॉच के डीड्रिक लोहमैन (अंग्रेज़ी, रूसी डच)
+91-654-089973; +1-646- 645-4902 (मोबाइल); अथवा lohmand@hrw.org

नई दिल्ली में कैनसपोर्ट के लिए हरमाला गुप्ता, अध्यक्ष: +91 98 10 60 6841(मोबाइल)

भारत में उपशामक देखभाल कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय कैंसर उपचार, चिकित्सा एवं शोध तंत्र, नई दिल्ली, डॉक्टर गायत्री पलाट, कार्यक्रम निदेशकः +91 998 548 0614(मोबाइल)

पैलीयिम इंडिया, नई दिल्ली, डॉक्टर एमआर राजगोपाल, अध्यक्ष
+91 938 860 5681 (मोबाइल)

इंडियन ऐसोसियेशन औफ़ पैलिटेटिव केयर, नई दिल्ली, डॉक्टर नागेश सिन्हा, अध्यक्ष-निर्वाचितः: +91 984 502 3681(मोबाइल)

मल्टीमीडिया फ़ीचरः ह्यूमैनराइट्स वॉच एवं पत्रकार ब्रेंट फ़ॉस्टर द्वारा निर्मित वीडियो डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और रिपोर्ट जारी होने के बाद वहाँ पर भी क्लिक करके देखा जा सकता हैः: http://www.hrw.org/en/video/2009/10/23/right-relief-palliative-care-india

प्रसारण योग्य सामग्री, ऑडियो, चित्र तथा पैलिटेटिव केयर विशेषज्ञ डॉक्टर एमआर राजगोपाल से इंटरव्यू का फ़ुटेज प्राप्त करने के लिए कृपया संपर्क करें

न्यूयॉर्क में, जेसी ग्राहम (अंग्रेज़ी) +1-212-216-1814; or +1-917-376-4677 (**मोबाइल**); **अथवा** grahamj@hrw.org

न्यूयार्क में, एला मोरन (अंग्रेज़ी): +1-212-216-1828; अथवा +1-917-519-2297; अथवा ella.moran@hrw.org